रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 138] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 1983/चैत्र 22, 1905
No. 138] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 1983/CHAITRA 22, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1983

सं. 123/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि.327(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं 68 के अन्तर्गत आने वाले सभी माल की जिसका रक्षा मंत्रालय को असैनिकीय प्रयोजनों के लिए प्रदाय करने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड

द्वारा विनिर्माण किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है ।

[350/3/83-टी.आर.यू.]
वी लक्ष्मी कुमारन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 1983

No 123/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R 327(E).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944 the Central Government hereby exempts all goods, falling under Item No 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufactured by Bharat Dynamics Limited for supply to the Ministry of Defence for official purposes, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

[F. No. 350/3/83-TRU]
V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983